

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7292/डी.149/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020.

विषय—सूची
अध्याय—एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय—दो
फीस समितियां

3. विद्यालय फीस समिति.
4. जिला फीस समिति.
5. राज्य फीस समिति.
6. समितियों के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल.
7. समितियों के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते की पात्रता न होना.
8. समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया.
9. राज्य फीस समिति के कार्य.

अध्याय—तीन
फीस का निर्धारण

10. अशासकीय विद्यालयों के फीस का निर्धारण.

अध्याय—चार
शास्तियां

11. विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों का अधिनियम के प्रावधानों को पालन करने के लिए जिम्मेदार होना.
12. शास्तियां.

अध्याय-पांच
विविध

13. अपील.
14. अभिलेखों का संधारण.
15. नियम बनाने की शक्ति.
16. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020.

अशासकीय विद्यालयों की फीस निर्धारण की प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन तथा अभिभावकों के आपसी परामर्श को वैधानिक आधार प्रदान किये जाने तथा फीस निर्धारण की प्रक्रिया के लिये उपबंध किये जाने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (1) 'अशासकीय विद्यालय' से अभिप्रेत है ऐसा विद्यालय, जिसके फीस का निर्धारण, छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार अथवा छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार की किसी संस्था द्वारा न किया जाता हो:
परन्तु यह कि उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित विद्यालय शामिल नहीं होंगे;
 - (2) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
 - (3) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

- (4) 'जिला शिक्षा अधिकारी' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी;
- (5) 'संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी;
- (6) 'कलेक्टर' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अंतर्गत कलेक्टर;
- (7) 'आयुक्त' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अंतर्गत संभागीय आयुक्त;
- (8) 'अभिभावक' से अभिप्रेत है किसी बच्चे के माता, पिता, संरक्षक अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस बच्चे के देखभाल के लिये विधिक रूप से प्राधिकृत हो;
- (9) 'अभिभावक संघ' से अभिप्रेत है किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का ऐसा संगठन, जिसमें उस विद्यालय में पढ़ने वाले कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावक सदस्य हों;
- (10) 'विद्यालय फीस समिति' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित समिति;
- (11) 'जिला फीस समिति' से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित समिति;
- (12) 'राज्य फीस समिति' से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन गठित समिति;
- (13) 'शैक्षणिक सत्र' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए निर्धारित शैक्षणिक सत्र;

- (14) 'फीस' से अभिप्रेत है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों से लिया जाने वाला कोई भी शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो।

अध्याय—दो फीस निर्धारण समितियां

विद्यालय फीस
समिति.

3. विद्यालय फीस समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगी:—
- (क) विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख — अध्यक्ष
 - (ख) कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी — सदस्य
 - (ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित, प्राथमिक से एक अभिभावक, पूर्व माध्यमिक से एक अभिभावक, उच्च माध्यमिक से एक अभिभावक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक अभिभावक — सदस्य
 - (घ) संबंधित अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामांकित, प्राथमिक से एक अभिभावक, पूर्व माध्यमिक से एक अभिभावक, उच्च माध्यमिक से एक अभिभावक एवं उच्चतर माध्यमिक से एक अभिभावक — सदस्य
 - (ङ.) संबंधित अशासकीय विद्यालय का प्राचार्य —सदस्य—सचिव

जिला फीस
समिति.

4. जिला फीस समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगी:—
- (क) कलेक्टर — अध्यक्ष
 - (ख) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक लेखाधिकारी अथवा कोषालय अधिकारी — सदस्य
 - (ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक शिक्षाविद् — सदस्य
 - (घ) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक कानूनविद् — सदस्य
 - (ङ) कलेक्टर द्वारा नामांकित अशासकीय विद्यालयों के 2 अभिभावक —सदस्य
 - (च) कलेक्टर द्वारा नामांकित अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन के 2 व्यक्ति — सदस्य
 - (छ) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य—सचिव

राज्य फीस
समिति.

5. राज्य फीस समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगी:—
- (क) छत्तीसगढ़ सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री —अध्यक्ष

- (ख) आयुक्त/संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ -सदस्य
 (ग) वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक वित्त संचालनालय लोक शिक्षण -सदस्य
 (घ) भारसाधक सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार -सदस्य-सचिव
6. इस अधिनियम के अंतर्गत समितियों में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल, सामान्य रूप से 2 वर्ष का होगा:
 परन्तु यह कि कलेक्टर द्वारा उन्हें किसी भी समय, बिना कारण बताए, कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकेगा।
7. इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों को, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के वेतन अथवा भत्तो की पात्रता नहीं होगी।
8. इस अधिनियम में प्रावधानों तथा धारा 15 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां, अपने कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगी।
9. (1) धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य फीस समिति, अशासकीय विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में नीति निर्धारित कर सकेगी और अन्य समितियां, इस प्रकार निर्धारित नीति के अनुरूप, फीस निर्धारित करेंगी।
 (2) धारा 5. के अंतर्गत गठित राज्य फीस समिति, अन्य समितियों के लिए सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी, जो इन समितियों पर बंधनकारी होंगी।
 (3) धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य फीस समिति, धारा 15 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य भी कर सकेगी।

समितियों के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल.

समितियों के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते की पात्रता न होना.

समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया.

राज्य फीस समिति के कार्य.

अध्याय-तीन

फीस का निर्धारण

10. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन, इस अधिनियम के प्रारंभ

अशासकीय विद्यालयों के

फीस निर्धारण.

होने के 1 माह के भीतर एवं इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् खुलने वाले समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन ऐसे अशासकीय विद्यालयों के खुलने के 3 माह के भीतर, अशासकीय विद्यालयों के द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव, धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा यह समिति, इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय 1 माह के भीतर लेगी।

- (2) एक बार सक्षम समिति द्वारा फीस का अनुमोदन हो जाने के पश्चात्, यदि अशासकीय विद्यालय का प्रबंधन, फीस बढ़ाना चाहे तो उसे, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 6 माह पूर्व, सुसंगत अभिलेख सहित धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष फीस बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा समिति यथासंभव 3 माह के भीतर फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय देगी।
- (3) अभिभावक संघ, फीस निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन, धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और यह समिति, फीस निर्धारण पर निर्णय लेते समय ऐसे अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी तथा समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना, नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां, फीस निर्धारण के प्रयोजन से संबंधित विद्यालयों से लेखा एवं अन्य अभिलेख मंगा सकेगी।
- (5) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां, फीस निर्धारण के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों की भी सुनवाई कर सकेगी।
- (6) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों को लेखा तथा अभिलेख मंगाने तथा सुनवाई के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (7) धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति, अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन के प्रस्ताव तथा अभिभावक संघों के अभ्यावेदनों पर विचार एवं विद्यालय के लेखों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात्, विद्यालय की फीस का निर्धारण करेगी तथा फीस का निर्धारण करते समय अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध

कराई जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखेगी।

- (8) धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति, विद्यालय की वर्तमान फीस में अधिकतम 8 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमेदन कर सकेगी:

परन्तु यदि समिति की राय में, वर्तमान फीस में 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि किया जाना आवश्यक हो तो, वह अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव, धारा 4 के अंतर्गत गठित जिला फीस समिति को अग्रेषित करेगी तथा धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर, जिला फीस समिति यथासंभव 3 माह के भीतर, उस पर निर्णय करके फीस का निर्धारण करेगी।

- (9) अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन, इस अधिनियम के अंतर्गत गठित सक्षम समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक फीस नहीं लेगा।

अध्याय—चार

शास्तियां

11. विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, वैयक्तिक तथा संयुक्त रूप से, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों का अधिनियम के प्रावधानों को पालन करने के लिए जिम्मेदार होना.

12. यदि विद्यालय प्रबंधन समिति, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रत्येक सदस्य सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर—

शास्तियां.

- (क) प्रथम उल्लंघन के लिये 50,000 रुपये या इस अधिनियम

के अधीन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, के जुर्माने के लिये दायी होगा;

- (ख) प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिये 1,00,000 रुपये या इस अधिनियम के अधीन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का चार गुना, जो भी अधिक हो, के जुर्माने के लिये दायी होगा;
- (ग) इस धारा के अंतर्गत प्रकरणों का विचारण, सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा। विचारण, अपील इत्यादि के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान लागू होंगे :

परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय, इस धारा के अंतर्गत संज्ञान, केवल जिला शिक्षा अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही लेगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय—पांच

विविध

- | | |
|----------------------|--|
| अपील. | 13. विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक संघ द्वारा, धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील, निर्णय के संसूचित होने के 30 दिवस के भीतर, धारा 4 के अंतर्गत गठित जिला फीस समिति के समक्ष की जा सकेगी तथा यह समिति यथासंभव 3 माह के भीतर अपील पर निर्णय करेगी एवं समिति द्वारा अपील में लिया गया निर्णय अंतिम होगा। |
| अभिलेखों का संधारण. | 14. अशासकीय विद्यालय, अभिलेखों का संधारण ऐसी रीति से करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाये। |
| नियम बनाने की शक्ति. | 15. (1) राज्य शासन, इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा। |

(2) पूर्वोक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य शासन निम्नलिखित के लिये नियम बना सकेगा—

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों के नामांकन एवं हटाए जाने के लिये;

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया एवं उनके द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख के लिये;

(ग) अशासकीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस निर्धारण के लिये समिति को दिये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप के लिये;

(घ) अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस के संबंध में संधारित किए जाने वाले अभिलेखों के लिये।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाये गये समस्त नियम, यथा संभव शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

16. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य शासन, अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर, अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिये ऐसा आदेश जारी कर सकेगा, जो कि अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कि उस कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7292/डी.149/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 24 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2020)

**CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT SCHOOLS FEES
REGULATION ACT, 2020.**

TABLE OF CONTENTS
CHAPTER - I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
FEES COMMITTEES

3. School Fees Committee.
4. District Fees Committee.
5. State Fees Committee.
6. Tenure of Nominated Members of Committee.
7. Non eligibility of pay and allowances to the members of Committees.
8. Procedure of work of Committees.
9. Work of the State Fees Committee.

CHAPTER - III
FIXATION OF FEES OF SCHOOLS

10. Fixation of fees of Non-Government Schools.

CHAPTER - IV
PENALTIES

11. All members of School Management Committee to be responsible for compliance with the provisions of the Act.
12. Penalties.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

13. Appeal.
14. Maintenance of Records.
15. Power to make Rules.
16. Power to remove difficulties.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16. of 2020)

**CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT SCHOOLS FEES
REGULATION ACT, 2020.**

An Act to give legal basis to mutual consultation among school management and guardians in the process of fixation of fees in Non-Government Schools and to provide the procedure for fixation of fees.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. (1) This Act may be called Chhattisgarh Non-Government Schools Fees Regulation Act, 2020.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Short title,
extent and
commencement.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (1) **'Non-Government School'** means such a school the fees of which is not fixed by Government of Chhattisgarh or Government of India or any organization of Government of Chhattisgarh or Government of India:

Provided that it will not include schools established by minorities under Article 29 and 30 of Constitution of India;

- (2) 'Notification' means a notification published in the official gazette of Chhattisgarh;
- (3) 'Prescribed' means prescribed by the rules made under this Act;
- (4) 'District Education officer' means any officer designated as District Education officer by Government of Chhattisgarh;
- (5) 'Divisional Joint Director Public Instructions' means any officer designated as Divisional Joint Director Public Instructions by Government of Chhattisgarh;
- (6) 'Collector' means Collector under Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (7) 'Commissioner' means Divisional Commissioner under Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (8) 'Guardian' means mother, father guardian or any person who is legally authorized to take care of a child;
- (9) 'Guardian Union' means a union of guardians of students of any school in which guardians of at least 10 percent of the students of that school are members;
- (10) 'School Fees Committee' means committee constituted under Section 3;
- (11) 'District Fees Committee' means committee constituted under Section 4;

- (12) 'State Fees Committee' means committee constituted under Section 5;
- (13) 'Academic Session' means, academic session fixed for running schools according to the instructions issued by Government of Chhattisgarh from time to time;
- (14) 'Fees' means any fees by whatever name called, charged from students of the school or their guardians.

CHAPTER - II
FEEs FIXATION COMMITTEES

3. The membership of School Fees Committee shall be as follows:-

School Fees Committee.

- (a) Head of the School Management Committee - **Chairman**
- (b) Nodal Officer nominated by the Collector - **Member**
- (c) One guardian from primary, one guardian from middle, one guardian from High School and one guardian from Higher Secondary of the school, to be nominated by the collector
- **Member**
- (d) One guardian from primary, one guardian from middle, one guardian from High School and one guardian from Higher Secondary of the school, to be nominated by the Principal of the concerned Non-Government School - **Member**
- (e) Principal of the concerned Non-Government School - **Member-Secretary.**

District Fees Committee.

4.

Membership of District Fees Committee shall be as follows:-

- (a) Collector- **Chairman**
- (b) One Accounts Officer or Treasury Officer nominated by the Collector - **Member**
- (c) One Educationist nominated by the Collector - **Member**
- (d) One Jurist nominated by the Collector - **Member**
- (e) Two guardians of Non-Government Schools nominated by the Collector - **Member**
- (f) Two persons from management of Non-Government Schools nominated by the Collector - **Member**
- (g) District Education Officer - **Member-Secretary.**

State Fees Committee.

5.

Membership of the State Fees Committee shall be as follows:

- (a) Minister in-charge of School Education Department, Government of Chhattisgarh - **Chairman**
- (b) Commissioner / Director Public Instructions Chhattisgarh - **Member**
- (c) Finance Controller / Joint Director Finance Directorate of Public Instructions - **Member**
- (d) Secretary in-charge of School Education Department Government of Chhattisgarh- **Member-Secretary.**

Tenure of nominated members of Committees.

6.

The tenure of nominated members of committees under this Act shall ordinarily be for two years:

Provided that they can be removed by the Collector at any time before the end of their tenure without assigning any reason.

7. The members of committees appointed under this Act shall not be eligible for any pay or allowances for working as members of the committee. **Non eligibility of pay and allowances to members of committees.**
8. Subject to the provisions of this Act and the provisions of rules made under Section (15) the committees constituted under this Act can decide their own procedure. **Procedure of work of committees.**
9. (1) The State Fees Committee constituted under Section 5 may decide the policy for fees to be charged by Non-Government Schools and other committees shall fix the fee in accordance with such policy determined. **Work of the State Fees Committee.**
- (2) The State Fees Committee constituted under Section 5 may issue general directions to other committees, which will be binding on these committees,
- (3) The State Fees Committee constituted under Section 5 may also do such other work which are given to it by rules made under Section 15.

CHAPTER -III FIXATION OF FEES

10. (1) Management of all Non-Government Schools which are running before the commencement of this Act shall, within 1 month of commencement of this Act and management of all Non-Government Schools which are opened after the commencement of this Act shall, within 3 months of opening of such Non-Government Schools, submit a proposal for approval of fees charged by the Non-Government School to the School Fees Committee constituted under Section 3 and the Committee shall take a decision on the proposal within 1 month. **Fixation of Fees in Non-Government Schools.**

- (2) If the management of the Non-Government School wishes to increase the fees after approval of the fees by the Competent Committee, it will have to submit a proposal for increasing the fees at least 6 months before the beginning of the academic session along with relevant accounts to the School Fees Committee constituted under Section 3 and the Committee, will give its decision on the proposal to increase the fees, as far as may be within 3 months.
- (3) Guardian Union may submit representation regarding fees fixation to the School Fees Committee constituted under Section 3 and the committee shall consider such representations at the time of taking a decision on fees fixation and the information about the fees fixed by the Committee shall be affixed on the notice board.
- (4) The committees constituted under this Act, may call for the accounts and other records from schools for the purpose of fees fixation.
- (5) The committees constituted under this Act may also hold hearings of school management and guardian for the purpose of fixation of fees.
- (6) The committees constituted under this Act shall have the powers of civil courts to ensure for calling account and records or for summoning persons for hearing.
- (7) The school fees committee constituted under Section 3 shall fix the fees of the school after considering the proposal of the Non-Government School management, representations submitted by guardian union and accounts and records of the school and shall keep in mind the facilities provided by the management of the Non-Government School to students during fixed the fees.

- (8) The school fees committee constituted under Section 3 may approve an increase of fees to a maximum of 8 percent of existing fees of the school:

Provided it in the opinion of the committee it is necessary to increase the fees more than 8 percent of the existing fees, it shall forward the proposal along with its recommendation to the District Fees Committee constituted under Section 4 and on receiving such a proposal from the School Fees Committee constituted under Section 3 the District Fees Committee shall take a decision on it and fix the fees as far as may be within 3 months.

- (9) Management of Non-Government Schools shall not charge fee in excess of the fees fixed by the competent committee.

CHAPTER - IV PENALTIES

11. All members of the management committee of the School shall be jointly and severally responsible for compliance of the provisions of the Act,

**All members of
School
Management
Committees to
be responsible
for compliance
with the
provisions of
the Act.**

12. If the school management Committee violates any provision of this Act or the rules made thereunder, every member of the school management committee on being convicted by a competent Court shall-

Penalties.

- (a) For first violation be liable for a fine up to Rs 50,000 or twice the amount

charged in excess of the fees fixed by the competent committee under this Act, whichever is more;

- (b) For each subsequent violation be liable for a fine of Rs 1,00,000 or four times the amount charged in excess of the fees fixed by the competent committee under this Act, whichever is more;
- (c) The trial of cases under this section will be done by a competent court. The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be applicable in respect of trial, appeal etc.:

Provided that a Court shall take cognizance of under this Section only on a written complaint of District Education Officer and not otherwise.

CHAPTER - V MISCELLANEOUS

Appeal.

13. School management or guardian unions may appeal against the decision of school fees committee constituted under Section 3 within 30 days of the decision being informed before the District Fees Committee constituted under Section 4 and the committee shall decide the appeal as far as may be within 3 months and the decision of the committee in appeal shall be final.

Maintenance of Records.

14. Non-Government Schools shall maintain records in the manner as may be prescribed by rules made under the Act.

Power to make Rules.

15. (1) Subject to the provision of this Act, State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Without affecting the generality of the powers conferred by the previous sub-section, State Government may make rules for-

- (a) Nomination and removal of the members of the committees constituted under this Act;
- (b) The procedure of the committees constituted under this act and the records to be kept by them;
- (c) The format of the proposal to be submitted by Non-Government School management to the committee for determining in fees;
- (d) The records to be maintained by Non-Government Schools regarding fees.

(3) All rules made under the provisions of this Act shall be laid before the Legislative Assembly as soon as possible.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, then within two years of the commencement of the Act, the State Government may issue such order to clarify the provisions of the Act, not inconsistent with the provision of this Act, as may appear to be necessary and expedient for removing the difficulty.

**Power to
remove
difficulties.**